



प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्रशासन एवं विकास,  
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-11 मार्च, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन अण्डा एवं कुक्कुट मांस उत्पादन बढ़ाने की योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-56/सात-3/बजट/कु.वि.नी./2025-26, दिनांक-22.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-103-कुक्कुट विकास-07-अण्डा एवं कुक्कुट मांस उत्पादन बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में ₹0-875.00 लाख (रूपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।
- (5) समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
- (6) योजनान्तर्गत सब्सिडी की धनराशि लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी दशा में सब्सिडी का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा। योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन/हस्तान्तरण संबंधित जनपदों को नियमानुसार उनके द्वारा प्राप्त मांग के अनुरूप (जैसी स्थिति हो) सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा समय-समय पर प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।
- (8) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
- (9) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (10) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित है।
- (11) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन आय-व्ययक में उपलब्ध बजट के दृष्टिगत किया जा रहा है। धनराशि का नियमानुसार व्यय किये जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
- (12) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,75,00,000 (रुपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 2403001030700** अण्डा एवं कुक्कुट मांस उत्पादन बढ़ाने की योजना **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-232-X-2025-26, दिनांक-11.03.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

**पू0सं0-41/2026/477(1)/सैंतीस-2-2026/002-1(45)/12टीसी-ए, तद्विनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।